संख्या-100/2015/1986/नौ-5-15-81बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, टूण्डला,
जनपद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद के पत्र संख्या-677/न0पा0प0 टूण्डला/2014-15 दिनांक 16.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, टूण्डला में जल निकासी के कार्यो हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित 25 विभिन्न नालों के निर्माण से सम्बन्धी कार्यो के लिये प्रस्तावित कार्य योजना के सापेक्ष ₹ 517.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 258.65 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर निगमों द्वारा रू0 50.00 लाख तक, नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(4) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/ कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी में न हीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 31 मार्च, 2015</u> तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-100/2015/1986 (1)/नौ-5-15-81बजट/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
10- अध्यक्ष, नगर पालिका परिष्द्, टूण्डला।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-100/2015/1986/नौ-5-15-81बजट/2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वितत्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद्, टूण्डला	1. वार्ड नं0 16 में गांधी विद्यालय से बगीची तक नाला का निर्माण कार्य।	18.36	
			2. स्टेशन रोड कोतवाली सेएम0एस0 स्कूल रोड होते हुए नरेन्द्र दीक्षित के मकान के समीप तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.88	
			3. टुण्डली रोड पर राजवली गौतम के मकान से बिल्डिंग मेटेरियल शॉप तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	15.24	
			4. गौतम सिंह के मकान से राम नरायण के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	16.33	
			5. मनी की मढैया रोड पर राजन सिंह के मकान से एटा रोड तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	14.25	
			6. वार्ड नं0 16 में शिव मन्दिर से टीचर्स कालौनी तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	17.43	
			7. वार्ड नं0 16 में शंखवार गार्ड से जे0एस0 अली के मकान होते हुए सूबेदार के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.29	
			8. वार्ड नं0 19 में सारस्वत एनक्लब में दिलीप सारस्वत के मकान से स्टेशन रोड तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.16	
			9. बन्ना रोड पुलिया से गणपत इन्क्लेब कालोनी तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.43	
			10. दुर्गा मन्दिर से बन्शीधर कालेज तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	16.84	
			11. प्रकाशानन्द कालोनी से कालीचरन के खेत तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	19.76	
			12. द्वारिकाधाम कालोनी से क्राईस्ट द किंग स्कूल के समीप तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	22.90	
			13. एन0एय0-2 सर्विस रोड से बैकुण्ठ धाम कालोनी तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.82	
			14. वार्ड नं0-7 टंकी रोड स्थित डी0के0 उपाध्याय के मकान से राजेश कुमार के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	19.29	
			15. सविता नगर में राजपाल के मकान से दीपचन्द की दुकान होते हुए सौदान सिंह के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	20.27	
			16. एम0पी0 रोड पर लच्छी लाला के मकान से वीरेन्द्र कुमार के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	24.75	
			17. कच्चा टूण्डला में सुजीत के मकान से अनामिका टाकीज तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	21.85	
			18. जी0जी0आई0सी0 के सामने से हलवाई की दुकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.33	

शासनादेश संख्या-100/2015/1986/नौ-5-15-81बजट/2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय द्वारा प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वितलीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
			19. तेलमिल रोड पर इलेक्ट्रानिक दुकान से भूपेन्द्र राना के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	22.83	
			20. प्रेमी दीक्षित के मकान से रामजी लाल के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	23.57	
			21. सुधाकर उपाध्याय के मकान से गोपीनचन्द्र के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	20.91	
			22. भीमसेन पुलिया से शमशान घाट मोड तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	19.40	
			23. टूण्डली रोड पर मन्दिर से बिजली घर तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	22.20	
			24. टूण्डली रोड नारायण बिहार कालोनी से सतेन्द्र यादव के मकान तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	20.82	
			25. अन्नू पण्डित के बाग से प्रमोद उपाध्याय के पानी प्लान्ट तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य।	17.43	
			योग	517.34	258.65

(रू0 दो करोड़ अठ्ठावन लाख पैसठ हजार मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-27/03/2015

प्रेषण संख्या:- 100-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-100-2015-1986-9-5-15-81Ba-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	25865000 39868000	25865000 39868000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25865000 39868000	25865000 39868000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ अट्ठावन लाख पैंसठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ अठानवे लाख अड़सठ हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव